



GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

Published by Authority

No.135]

CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021 (KARTIK 03, 1943 SAKA)

चण्डीगढ़ प्रशासन
गृह - विभाग
अधिसूचना
20 मई, 2021

संख्या. 375115-एचIII(3)-2021/7186ए-निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 29) की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा चण्डीगढ़ प्रशासन के निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2006 के अधिक्रमण, उन चीजों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले पूरी हो चुकी हैं या हटा दी गई हैं, प्रशासक, केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़, निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं जो इस प्रकार हैं:

1) संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ -

- क) इन नियमों को चण्डीगढ़ प्रशासन निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2021 कहा जा सकता है।
- ख) यह नियम, आधिकारिक गजट में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2) परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा न हो :-

- क) "अधिनियम" अर्थात निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 29)।
- ख) 'अभिकरण' अर्थात निजी सुरक्षा अभिकरण
- ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से अभिप्राय वही है जिसे अधिनियम की धारा 2(बी) में वर्णित किया गया है।
- घ) "प्रपत्र" अर्थात एक प्रपत्र, जिसे इन नियमों के साथ संलग्न किया गया है।
- ङ) अनुज्ञप्ति अर्थात अधिनियम के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति।
- च) शब्द व भाव जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं तो उनका अभिप्राय वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Jai Prakash Kumar
Date: 2021.10.26
16:55:11 (UTC)
Reason: Published
Location:

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन -

- 1) प्रत्येक अभिकरण प्रपत्र-I पर नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय अपने पूर्ववृत्त आचरणों के सत्यापन के लिए प्रपत्र-II को भी साथ में संलग्न करेगा।

(1115)

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :

<https://egazette.chd.gov.in>

- 2) यदि आवेदक एक कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संगठन है तो आवेदन के प्रपत्र-I के साथ, संगठन के प्रत्येक मालिक या अधिकतम शेयरधारक, पार्टनर या कम्पनी के निदेशक के लिए प्रपत्र-II संलग्न किया जाएगा, जैसे कि वे स्वयं भी आवेदक हों। इसके अतिरिक्त आवेदक, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण के साथ प्रपत्र-III पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 3) प्रपत्र I, II व III प्राप्त होने पर नियंत्रक प्राधिकारी ऐसी आवश्यक जाँच करेगा जिसे आवेदन में दर्ज आवेदक के ब्यौरे के सत्यापन के लिए आवश्यक समझा जाए।
- 4) आवेदक के पूर्ववृत्त आचरण के सत्यापन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी, अपराध व अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जैसे कि अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सी सी टी एन एस), अंतर-संचालित अपराध न्याय प्रणाली (आई सी टी एस) का उपयोग करेगा।
- 5) जहां पर किसी आवेदक के पूर्ववृत्त आचरण का पहले किसी दूसरे राज्य में सत्यापन हो चुका हो तथा उसे अनुज्ञप्ति जारी की गई हो, तो नियंत्रक प्राधिकारी के लिए उसके पूर्ववृत्त आचरणों का सत्यापन पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते जिस अनुज्ञप्ति के लिए पूर्ववृत्त आचरण सत्यापित हो, वह वैध अवधि में हो।
- 6) प्रपत्र-I के साथ एक डिमांड-ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संलग्न किया जाएगा, यह दिखाने के लिए कि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) में बताए गए शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
- 7) उप-नियम 1 में बताया गया आवेदन या तो निजी तौर पर नियंत्रक प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा या फिर पंजीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा।
- 8) उप-नियम 1 में संदर्भित आवेदन प्राप्त होने पर, नियंत्रक प्राधिकारी उस पर प्राप्ति की तिथि नोट करके, आवेदक को इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल पावती देगा।
- 9) प्रपत्र-I पर आवेदन प्राप्त करने के बाद, नियंत्रक प्राधिकारी निजी सुरक्षा अभिकरण को आवश्यक जाँच तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बाद, प्रपत्र-IV पर अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
बशर्ते यदि निजी सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी दूसरे राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त की है, तब अनुज्ञप्तिधारी को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
- 10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने किसी अधिकारी या किसी अन्य तरीके से निजी सुरक्षा अभिकरण के द्वारा बताए गए पते पर इसके परिसर की जाँच करेगा।
- 11) नियंत्रक प्राधिकारी, निजी सुरक्षा अभिकरण से सम्बन्धित राज्य में इसके मुख्य पते पर, जैसा कि अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रस्तुत आवेदन में लिखा होगा, पर अनुज्ञप्ति जारी होने से पन्द्रह दिनों के अंदर डाक के द्वारा इसकी प्रति भेजने का प्रबंध करेगा, जिसे निजी सुरक्षा अभिकरण अपने कार्य के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।
- 12) यदि अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन नकार दिया जाता है तो इसकी मनाही का कोई भी आदेश तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक की -
क) आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो; तथा
ख) जिस आधार पर अनुज्ञप्ति के लिए मना किया गया है, वह आदेश में लिखा हो।
- 13) नियंत्रक प्राधिकारी, पूर्ण रूप से तैयार प्रपत्र-I प्राप्त होने से 60 दिनों के अंदर, इस पर एक आदेश जारी करेगा।

4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें:-

- 1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा बताए गए निजी सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण को समय सीमा के अंदर पूरा करेगा।
- 2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के लिए आवश्यक विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाएगा।
- 3) प्रशिक्षण कम से कम छः कार्य दिवसों के लिए होगा। प्रशिक्षण में मुख्यतः निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएंगे, जैसे कि:-
 - i) वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य -
 - क) वी आई पी सुरक्षा
 - ख) आंतरिक सुरक्षा
 - ग) संस्थागत सुरक्षा
 - ii) निजी सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका व कार्य -
 - क) अग्निशमन
 - ख) विपदा/आपातकाल प्रबंधन नवाचार
 - ग) सुरक्षा कर्तव्य
 - घ) विभिन्न दस्तावेजों की जाँच
 - ङ) सूचना सुरक्षा
 - च) अभिगम नियंत्रण
 - छ) विस्फोटक, आई ई डी
 - ज) तोड़फोड़ विरोधी जाँच (ए एस सी)
 - झ) सुरक्षा से सम्बन्धित उपकरण
 - ञ) संचार उपकरण
 - ट) गश्त
 - ठ) पोस्ट ड्यूटी
 - iii) कानूनी प्रावधान
 - क) निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 29) तथा इससे जुड़े नियम।
 - ख) सम्बन्धित श्रम कानून।
 - iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधन
 - क) वर्दी
 - ख) निजी सुरक्षा अभिकरण के कर्मियों का प्रशिक्षण
 - ग) अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा दस्तावेज व रिकार्ड संभाला जाएगा
 - घ) डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल

- v) जनता, पुलिस व अन्य विभागों के साथ व्यवहार
 - क) जनता के साथ व्यवहार
 - ख) पुलिस व अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के साथ तालमेल
 - vi) निजी सुरक्षा कर्मी - क्या करे व क्या न करें (आचरण नियम)
- 4) अनुज्ञप्ति प्राप्त होने से 15 दिनों के अंदर अनुज्ञप्तिधारी, अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थाई पता, संपर्क के पते तथा अभिकरण में गठन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के मुख्य व्यवसाय के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा।
 - 5) अनुज्ञप्तिधारी, प्राधिकारी को अभिकरण के गठन में शामिल किसी भी व्यक्ति के पते में बदलाव या प्रबंधन में बदलाव के बारे में, ऐसा बदलाव होने से 30 दिनों के अंदर सूचित करेगा।
 - 6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अभिकरण के गठन में शामिल व्यक्तियों या अभिकरण के द्वारा नियुक्त निजी सुरक्षाकर्मियों या अनुबंधित पर्यवेक्षकों के विरुद्ध आपराधिक आरोप तय होने के बारे में तुरंत सूचित करेगा। ऐसे पत्र की एक प्रति सम्बन्धित पुलिस थाने के अधिकारी को भी भेजी जाएगी, जहां पर आरोपित व्यक्ति रहता है।
 - 7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण, इन नियमों में बताए गए निजी सुरक्षा गार्डों के लिए आवश्यक शारीरिक मानकों तथा उसके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, को वह शर्त मानेगा जिसके आधार पर अनुज्ञप्ति जारी की गई है।
 - 8) इन नियमों में बताए अनुसार को छोड़कर, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भुगतान किया गया शुल्क अप्रतिदेय होगा।
 - 9) अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण अनुज्ञप्ति प्राप्त होने से छः महीनों के अंदर अपनी गतिविधियां शुरू कर देगा।
 - 10) गतिविधियों की शुरुआत में शामिल होगा-कार्यालय परिसर की स्थापना तथा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) तथा नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।
- 5) अनुज्ञप्ति का नवीकरण**
1. प्रत्येक अभिकरण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि की अंतिम तिथि से कम से कम 45 दिन पूर्व, प्रपत्र -I के साथ-साथ प्रपत्र -II व प्रपत्र-III पर, अधिनियम की धारा 8 में बताई गई अन्य शर्तों का पालन करते हुए आवेदन करेगा।
 2. यदि आवेदक एक कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संगठन है तो आवेदन के प्रपत्र-I के साथ, संगठन के प्रत्येक मालिक या अधिकतम शेयरधारक, पार्टनर या कम्पनी के निदेशक की ओर से प्रपत्र-II संलग्न किया जाएगा, जैसे कि वे भी आवेदक हों।
 3. नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त आचरण को उसी प्रकार सत्यापित करेगा जैसा कि नियम 3 के उप-नियम (4) में बताया गया है।
 4. नियंत्रक प्राधिकारी, प्रपत्र I पर अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आवश्यक जाँच तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात, प्रपत्र-IV पर नवीकृत अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
 5. यदि उप-नियम (1) में बताई गई अवधि के अंदर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो अभिकरण को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण माना जाएगा।

6. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन की अवधि समाप्त होने पर अभिकरण, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
7. अनुज्ञप्ति के नवीकरण का शुल्क, पहली अनुज्ञप्ति देने के शुल्क के समान होगा जैसा कि नियम 3 के उप-नियम (6) में बताया गया है।
8. उप-नियम 1 में बताई गई अवधि तथा अनुज्ञप्ति की वैधता की अंतिम तिथि से पहले न प्राप्त हुए आवेदनों को अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
9. नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रपत्र-1 पर सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से 30 दिनों के अंदर आवेदन पर आदेश जारी करेगा।
10. नवीकृत अनुज्ञप्ति की वैधता पिछली अनुज्ञप्ति की अंतिम तिथि से शुरू होगी तथा यह पाँच वर्षों की होगी, इसकी नवीनीकरण की तिथि की परवाह किए बिना। यदि नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा आवेदन पर निर्णय अनुज्ञप्ति की अंतिम तिथि के बाद किया जाता है तो बीच के समय को वैध अनुज्ञप्ति के अंतर्गत माना जाएगा।
11. नियंत्रक प्राधिकारी व निजी सुरक्षा अभिकरण, उन हालातों के कारण होने वाले विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे कि नागरिक या सैन्य प्राधिकरण के कार्य, राष्ट्रीय आपातकाल, दंगे, भगवान के कार्य। परन्तु यह इन्हीं तक सहित नहीं है।

6) अनुज्ञप्ति नवीकरण की शर्तें :- अनुज्ञप्ति नवीकरण निम्नलिखित शर्तों पर होगा:-

- i) आवेदक नियंत्रक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में अपने व्यवसाय के मुख्य स्थान को बनाए रखता है।
- ii) आवेदक, अपने निजी सुरक्षा गार्डों व पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन नियमों के नियम 8 के उप-नियम 2 के अनुसार, उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन जारी रखता है।
- iv) आवेदक का ऐसा कोई भी अपराधिक रिकार्ड नहीं है जिसे अपराध व अपराधियों के डेटाबेस से सत्यापित किया जा सके।

7) निजी सुरक्षा गार्डों व पर्यवेक्षकों के चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण का सत्यापन:-

- 1) किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक नियुक्त या अनुबंधित करने से पहले, अभिकरण स्वयं को ऐसे व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण के बारे में निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक के द्वारा संतुष्ट करेगा :-
 - क) उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण सत्यापन प्रमाण-पत्र पर भरोसा करके;
 बशर्ते वह चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण प्रमाण-पत्र वैध हो तथा अभिकरण के पास उस व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण के बारे में किसी अन्य स्रोत से विपरीत रिपोर्ट न हो।
 - ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण के सत्यापन के लिए, अपराध व अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जैसे कि अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सी सी टी एन एस), अंतर-संचालित अपराध न्याय प्रणाली (आई सी टी एस) का उपयोग करके।
- 2) स्वयं को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक नियुक्त या अनुबंधित किए जाने का इच्छुक व्यक्ति, अभिकरण को प्रपत्र-V प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त वह अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत बताए गए विवरण के साथ प्रपत्र-VI पर एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

- 3) राज्य सरकार, चरित्र व पूर्ववृत आचरण सत्यापन के लिए जमा करवाई जाने वाली फीस को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार करने का प्रबंध करेगी।
- 4) जिस प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाता है वह यह सुनिश्चित करेगा कि चरित्र व पूर्ववृत आचरणसत्यापन रिपोर्ट, चरित्र व पूर्ववृत आचरण प्रपत्र प्राप्त होने से 15 दिनों के अंदर जारी की जाए।
- 5) चरित्र व पूर्ववृत आचरण सत्यापन रिपोर्ट एक बार जारी होने पर पाँच वर्षों तक वैध रहेगी, कर्मचारी की स्थिति में किसी बदलाव की परवाह किए बिना।
- 6) चरित्र व पूर्ववृत आचरण सत्यापन के आधार पर, अभिकरण प्रपत्र-VII पर एक चरित्र व पूर्ववृत आचरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा तथा यह प्रमाण-पत्र किसी भी अभिकरणके द्वारा वापिस नहीं लिया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति उस अभिकरण का कर्मचारी न रहे।

8) सुरक्षा प्रशिक्षण –

- 1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुसार सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को तय करेगा। प्रवेश स्तर पर, यह प्रशिक्षण, कम से कम 20 दिनों की अवधि में न्यूनतम 100 घण्टों की कक्षा निर्देशों तथा 60 घण्टों के क्षेत्र प्रशिक्षण का होगा। परन्तु पूर्व-सैन्य व पूर्व पुलिस कर्मियों को एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम से गुजरने की आवश्यकता होगी अर्थात् कम से कम सात दिनों की अवधि में 40 घण्टों के कक्षा निर्देश तथा 16 घण्टों का क्षेत्र प्रशिक्षण।
- 2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, जैसे कि –
 - क) लोगों के बीच आचरण व सही यूनिफार्म पहनना।
 - ख) शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण
 - ग) शारीरिक सुरक्षा, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, भवन/आपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, गृहस्थ सुरक्षा।
 - घ) अग्निशमन
 - ड.) भीड़ नियंत्रण
 - च) पहचान पत्रों, पासपोर्ट व स्मार्ट कार्डों का परीक्षण व पहचान
 - छ) अंग्रेजी अक्षरों व अरबी अंको को पढ़ने व समझने में समर्थ होना चाहिए, क्योंकि इनका सामना सामान्यतः पहचान दस्तावेज़ों, शस्त्र अनुज्ञप्तियों, दस्तावेज़ों व सुरक्षा जाँच तालिकाओं से होता है
 - ज) तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की पहचान
 - झ) प्राथमिक चिकित्सा
 - ञ) संकट प्रतिक्रिया व आपदा प्रबंधन
 - ट) रक्षात्मक ड्राईविंग (शस्त्र वाहनों के चालक के लिए आवश्यक तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक)
 - ठ) गैर प्रतिबंधित हथियारों व शस्त्रों की संभाल व संचालन (वैकल्पिक)
 - ड) भारतीय दण्ड संहिता, निजी सुरक्षा अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाने की प्रक्रिया, शस्त्र अधिनियम (केवल कार्यकारी भाग); विस्फोटक अधिनियम (केवल कार्यवाही भाग) का मौलिक ज्ञान
 - ढ) पुलिस व सैन्य दलों में पद के वैज (बिल्ले)

- ण) सार्वजनिक व पुलिस के द्वारा उपयुक्त विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की पहचान
- त) सुरक्षा उपकरणों व यंत्रों का इस्तेमाल (उदाहरण के लिए; सुरक्षा अलार्म व स्क्रीनिंग उपकरण); तथा
- थ) अगुवाई व प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)
- 3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा बताए गए प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना पड़ेगा।
- 4) प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को प्रपत्र-VIII पर प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- 5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा गार्ड/पर्यवेक्षक को जारी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, दूसरे राज्यों में भी स्वीकार किया जाएगा।
- 6) नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर प्रशिक्षण सुविधा की कार्यशैली की जाँच स्वयं या अपने किसी अधिकारी के द्वारा करवाएगा। ऐसी जाँच हर वर्ष कम से कम दो बार होगी।
- 7) सभी प्रशिक्षण अभिकरण, सफल प्रशिक्षुओं की सूची नियंत्रक प्राधिकारी को इसके द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार प्रस्तुत करेंगी।
- 8) पूरे किए गए प्रशिक्षण व नौकरी की आवश्यकता के आधार पर, निजी सुरक्षा अभिकरण के पास अपने पद हो सकते हैं बशर्ते कोई भी अभिकरण, सैन्य दल, अर्धसैन्य दल या राज्य पुलिस दल के किसी पद को नहीं अपनाएगा।
- 9) नियंत्रक प्राधिकारी स्वयं या अपने किसी अधिकारी के द्वारा, प्रशिक्षण तथा किसी निजी सुरक्षा अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डों व पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण/कौशल का सत्यापन कर सकता है।
- 10) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी सुरक्षा अभिकरण को जारी अनुज्ञप्ति को जारी या अन्यथा करने की समीक्षा कर सकता है, जिसने अपने रोल पर प्रशिक्षित कर्मियों की शर्त का पालन नहीं किया हो।

9) सुरक्षा गार्डों की शारीरिक फिटनेस के मानक

- 1) एक व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या अनुबंधित किए जाने योग्य होगा यदि वह नीचे बताए गए शारीरिक फिटनेस के मानकों को पूरा करे :-
- कद - 160 सै.मी. (महिला 150 सै.मी.) भार - कद व भार की मानक तालिका के अनुसार, सीना 80 सै.मी., 4 सै.मी. फैलाव के साथ (महिलाओं के लिए सीना मापने की कोई आवश्यकता नहीं)
 - दृष्टि - दूर देखने की दृष्टि - 6/6, निकट देखने की दृष्टि 0.6/0.6, चश्मे के साथ या बिना, रंग दृष्टिहीनता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के रंगों की पहचान व अलग-अलग रंग पहचानने तथा लिखित अंग्रेजी शब्दों व अरबी अंकों को पहचानने व समझने में सक्षम होना चाहिए।
 - भीतर मुड़े हुए घुटनों व सपाट पैरों से मुक्त होना चाहिए तथा छः मिनटों के अंदर एक किलोमीटर दौड़ सकता हो।
 - सुनना - किसी भी दोष से मुक्त, बोली गई आवाज़ व सुरक्षा उपकरणों के द्वारा बजाए गए अलार्म को सुनने व इस पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए।
 - उम्मीदवार किसी भी संक्रामक या छूत की बीमारी के लक्षणों से मुक्त होना चाहिए। वह ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए जो उसकी नौकरी की वजह से बढ़ जाए या जो उसे सेवा के लिए अयोग्य बना दे या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाले।

- 2) उम्मीदवार किसी भी संक्रामक व छूत की बीमारी के लक्षणों से मुक्त होना चाहिए। वह ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए जो उसकी नौकरी की वजह से बढ़ जाए या उसे सेवा के लिए अयोग्य बना दे या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाले।
- 3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा इसके लिए काम करने वाला प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड, प्रवेश स्तर पर बताए गए शारीरिक स्वास्थ्य के मानकों को बनाए रखने के लिए, अपने पिछले चिकित्सा परीक्षण के बाद हर बारह महीनों के अंतर पर चिकित्सा जाँच से गुजरे।

10) पर्यवेक्षकों के लिए प्रावधान -

- 1) अधिकतम पंद्रह निजी सुरक्षा गार्डों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।
- 2) यदि निजी सुरक्षा गार्ड अलग-अलग परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हों तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना एक पर्यवेक्षक के लिए संभव न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को नियुक्त करेगा, ताकि कम से कम छः निजी सुरक्षा गार्डों पर सहायता, सलाह व पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध रहे।

11) अपील व प्रक्रिया-

अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा 1 के अंतर्गत दायर की जाने वाली हरेक अपील प्रपत्र IX पर पीड़ित व्यक्ति या उसके अधिकृत वकील के हस्ताक्षर के साथ, गृह सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर या इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

12) अभिकरण के द्वारा एक रजिस्टर रखा जाएगा

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रपत्र X पर अभिकरण के द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप में एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

13) फोटो पहचान पत्र -

- 1) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, अभिकरण के द्वारा प्रपत्र XI पर एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
- 2) फोटो पहचान-पत्र पर सम्बन्धित निजी सुरक्षा गार्ड के पूरे चेहरे की रंगीन फोटो, उसका पूरा नाम, अभिकरण का नाम व कर्मचारी संख्या लिखी होगी।
- 3) फोटो पहचान-पत्र सम्बन्धित व्यक्ति की अभिकरण में स्थिति को स्पष्टतः व्यक्त करेगा। इसके साथ-साथ फोटो पहचान पत्र पर इसकी वैधता तिथि भी लिखी होगी।
- 4) फोटो पहचान-पत्र को सदैव नवीनतम जानकारी के साथ रखा जाएगा तथा व्यक्तिगत विवरण में किसी भी परिवर्तन को इसमें तुरंत दर्ज किया जाएगा।
- 5) जब निजी सुरक्षा गार्ड, अभिकरण के अनुबंध या रोजगार में न हो तो वह उसे जारी फोटो पहचान पत्र को सम्बन्धित अभिकरण को लौटा देगा।
- 6) फोटो पहचान-पत्र के गुम होने या चोरी होने की सूचना, इसे जारी करने वाले अभिकरण के संज्ञान में तुरंत लाई जाएगी।

14) अन्य शर्तें -

- 1) भले ही प्रत्येक अभिकरण अपने निजी सुरक्षा गार्डों को सेवा के समय यूनिफार्म पहनने या न पहनने

का आदेश देता है, परन्तु प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को, निम्नलिखित पहनना अनिवार्य करेगा-

- क) बाजू पर पहने जाना वाला बिल्ला, जो अभिकरण की पहचान बताए।
 - ख) सीने या छाती का बिल्ला, संगठन में उसकी स्थिति के संकेत के लिए।
 - ग) व्हिसल कार्ड से जुड़ी सीटी तथा जिसे बाई जेब में रखा जाएगा।
 - घ) सुराख व फीतों के साथ जूते।
 - ङ) एक टोपी या पगड़ी जिस पर अभिकरण का चिन्ह लगा हो।
- 2) सक्रिय ड्यूटी के समय निजी सुरक्षा गार्ड के द्वारा पहने गए कपड़े ऐसे होंगे जो उसके कुशल प्रदर्शन में बाधा न डालें। थोड़े शब्दों में, वे न तो ज्यादा तंग और नही इतने ढीले होने चाहिए जो उसके शरीर के हिलने व झुकने में बाधा डालें।
 - 3) प्रत्येक सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट बुक व लिखने का उपकरण अपने साथ रखेगा।
 - 4) प्रत्येक सुरक्षा गार्ड सक्रिय ड्यूटी के समय, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जारी पहचान-पत्र पहनेगा व प्रदर्शित करेगा, अपने शरीर पर सबसे बाहरी कपड़े पर कमर से ऊपर, जहां से वह स्पष्ट दिखे।

चण्डीगढ़
17 मई, 2021

अरूण कुमार गुप्ता, भा. प्र. से.,
प्रमुख सचिव, गृह,
चण्डीगढ़ प्रशासन।

प्रपत्र - I
(नियम 3, 5 देखें)

निजी सुरक्षा व्यवसाय में शामिल, निजी सुरक्षा अभिकरणों को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने/ अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी,

निम्नहस्ताक्षरी, निजी सुरक्षा अभिकरणों के क्षेत्र में सेवा चलाने के व्यवसाय को करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है:-

- 1) आवेदक का पुरा नाम व पता :
- 2) आवेदक की राष्ट्रियता :
- 3) सपुत्र/सपुत्री :
- 4) आवासीय पता :
- 5) पता, जहां पर आवेदक अपना अभिकरण शुरू करना चाहता है:
- 6) निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम :
- 7) निजी सुरक्षा अभिकरण का अतिरिक्त विवरण (यदि लागू हो):
- क) सी.आई.एन. संख्या :
- ख) ई.एस.आई. संख्या :
- ग) ई.पी.एफ. संख्या :
- घ) श्रम अनुज्ञप्ति संख्या :
- ङ) श्रम पंजीकरण संख्या :
- च) जी.एस.टी. संख्या :
- छ) कोई अन्य जानकारी :
- ज) क्या अभिकरण के पास एफ.डी.आई. है? (हां/नहीं)

यदि हां, निम्न जानकारी दें :-

- i) एफ.डी.आई. का देश
- ii) विदेशी शेयरधारक का नाम
- iii) विदेशी शेयरधारक का पता
- iv) निवेश का वर्ष _____
- v) शेयरों की संख्या _____

vi) विदेशी शेयरधारक का प्रतिशत _____

vii) एफ.डी.आई. का अनुमोदन विवरण _____

(कृपया एफ डी आई अनुमोदन का सम्बन्धित दस्तावेज़ संलग्न करें)

8) अभिकरण के मालिक, पार्टनर, अधिकांश शेयरधारक, निदेशक व प्रमुख का नाम व पता

क्रमांक	प्रबंधन का प्रकार (प्रापराईटर/ पार्टनर/ अधिकांश शेयरधारक/ निदेशक/ प्रमुख)	नाम	पता	डिन संख्या (यदि हो)	पहचान पत्र संख्या के साथ

9) उपलब्ध सुविधाओं का नाम व विस्तार: _____

10) (क) क्या आवेदक के पास अपनी प्रशिक्षण सुविधा है या इसे बाहरी स्रोत से प्राप्त करेगा? ____

ख) यदि आवेदक के पास अपनी प्रशिक्षण सुविधा है, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:-

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम:

प्रशिक्षण अभिकरण का पता:

प्रशिक्षण अभिकरण का पहचान विवरण:

11) उपकरण, जिन्हें सुरक्षा सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा:

क) दरवाजे के आकार का धातु संसूचक (डी एफ एम डी)

ख) हाथ में पकड़ने वाला धातु संसूचक (एच एच एम डी)

ग) जमीन के नीचे विस्फोटक का संसूचक

घ) अन्य उपकरण

i) वायरलैस टैलिफोन

ii) अलार्म उपकरण

iii) दस्तरबंद वाहन

iv) हथियार

12) वर्दी का विवरण, रंग के साथ (कृपया वर्दी की रंगीन फोटो संलग्न करें)

13) क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में काम करना चाहता है? यदि हां तो जिलों का नाम

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

14) क्या आवेदक पूरे राज्य में काम करना चाहता है? हां/नहीं

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक का टेलिफोन न.

आवेदन की तिथि

संलग्न

1. अभिकरण के परिसर का फोटो
2. सभी प्रबंधक कर्मियों का पहचान-पत्र
3. प्रशिक्षण अभिकरण का पहचान विवरण (यदि लागू हो)
4. वर्दी का रंगीन फोटो
5. अभिकरण दस्तावेज (यदि लागू हो) जिनका विवरण ऊपर पैरा 7 में दिया गया है
6. वर्तमान आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रति
7. अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा 2 में बताया गया शपथ-पत्र
8. अन्य संलग्नक

प्रपत्र - II
(नियम 3 व 5 देखें)
आवेदक के पूर्ववृत्तआचरण के सत्यापन के लिए प्रपत्र

नोट:- यदि आवेदक एक कम्पनी, एक फर्म या व्यक्तियों का संगठन है तो यह प्रपत्र उस कम्पनी के प्रत्येक मालिक या अधिकांश शेयरधारक, सहयोगी या निदेशक के द्वारा भरा जाएगा, जैसे कि वे स्वयं भी आवेदक हों
आवेदक के हस्ताक्षर _____

कार्यालय उपयोग के लिए		
प्रपत्र संख्या	पूर्ववृत्तीआचरण सत्यापन - के द्वारा जारी	तिथि

शुल्क राशि ₹ _____ नकद/डिमांड ड्राफ्ट _____ बैंक का नाम _____
 डी.डी संख्या _____ तिथि _____

कृप्या मोटे अक्षरों में भरें (सावधानी : कृप्या सही जानकारी दर्ज करें। प्रपत्र में गलत जानकारी दर्ज करने या किसी वास्तविक जानकारी को छुपानेपर, आवेदक को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा)।

- आवेदक का नाम (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)
 अंतिम नाम _____ पहला नाम _____
- क्या आपने कभी अपना नाम परिवर्तित किया है? कृप्या अपने पूरे पूर्व नाम को बताएं

- लिंग (पुरुष/स्त्री) _____
- जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) _____
- आधार संख्या _____
- पैन संख्या _____
- जन्म स्थान: गाँव/नगर _____
 जिला _____ राज्य व देश _____
- पिता का पूरा नाम/कानूनी संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम के साथ, यदि हों)
 (आद्याक्षरों की अनुमति नहीं है) _____
- माता का पूरा नाम (उपनाम के साथ, यदि हो)
 (आद्याक्षरों की अनुमति नहीं है) _____
- यदि विवाहित है तो जीवन साथी का पूरा नाम (उपनाम के साथ, यदि हो)
 (आद्याक्षरों की अनुमति नहीं है) _____

11. वर्तमान आवासीय पता, गली न. /पुलिस स्टेशन, गाँव व ज़िला (पिनकोड के साथ)
- _____
- दूरभाष संख्या _____ /मोबाईल संख्या _____
12. कृप्या उस तिथि को बताएं जब से उपरोक्त पते पर रह रहे हों –
(DD/MM/YYYY) _____
13. स्थाई पता -गली न. /पुलिस स्टेशन, गाँव व ज़िला (पिनकोड के साथ)
- _____
- _____
14. यदि आपने उपरोक्त कॉलम न. 11 में दिए गए पते पर पिछले पाँच वर्षों तक लगातार निवास नहीं किया है तो कृप्या दूसरा पते के बारे में निवास की अवधि के साथ बताएं
_____से _____तक - पता _____
- _____
- _____
15. विदेश में रहने के मामले में, उन सभी स्थानों का विवरण दें, जहां पर आपने 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है
- _____
16. अन्य विवरण
- क) शैक्षणिक योग्यता
- ख) पूर्व पद, यदि हो, नियोजक के नाम व पते के साथ
- ग) पूर्व रोजगार छोड़ने का कारण
- घ) प्रत्यक्ष पहचान चिन्ह
- ङ) पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न
- क्रमांक आंकलन वर्ष आई टी आर की कॉपी संलग्न (हां/नहीं)
1.
2.
3.
- च) अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों को समाविष्ट करते हुए शपथ-पत्र संलग्न है:
हाँ/ नहीं।
17. क्या आपने पहले किसी निजी सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया है या आप उसमें पार्टनर, अधिकांश शेयरधारक या निदेशक थे? यदि हां, तो उस अभिकरण के नाम, पते का विवरण, अनुज्ञप्ति विवरण सहित प्रस्तुत करें।
- _____
18. क्या आप भारत के नागरिक - जन्म/वंश/पंजीकरण/नागरिकता प्राप्त करने के आधार पर हैं?क्या आप के पास कभी किसी अन्य देश की नागरिकता थी?कृप्या पूर्व नागरिकता के बारे में बताएं
- _____

-
19. क्या आपको कभी भी भारतीय न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक कृत्य के लिए दोषी पाया गया है तथा कैद की सजा दी गई है? यदि हां, न्यायालय का नाम, मुकद्दमा संख्या व अपराध के बारे में बताएं (निर्णय की प्रति संलग्न करें) _____
20. क्या भारत के किसी भी न्यायालय में आपके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई लम्बित है? यदि हां, न्यायालय के नाम, मुकद्दमा संख्या व अपराध के बारे में बताएं _____
21. स्वघोषणा - इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेज सही है तथा इनकी सटीकता के लिए केवल मैं जिम्मेवार हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तिथि _____

स्थान _____

संलग्न _____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रपत्र - III
[नियम 3 (2) /5(1) देखें]
शपथ-पत्र

मैं _____ सपुत्र/सपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमति _____ वासी
 _____ मैसर् _____

(फर्म/अभिकरण/कम्पनी का नाम), पता _____ का
 मालिक/पार्टनर/निदेशक हूँ। मैं यहां पर निम्नलिखित सत्यनिष्ठ पुष्टि व घोषणा करता हूँ।

1. कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है।
2. कि शपथकर्ता ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
3. कि अभिकरण के मालिकों/पार्टनरों/निदेशकों (कृपया सभी पार्टनरों निदेशकों का विवरण दें) का विवरण इस प्रकार है-

क्रमांक	मालिकों/पार्टनरों/निदेशकों का नाम	फर्म/अभिकरण/कम्पनी में पद मालिक/पार्टनर/निदेशक)	आवासीय पता

4. कि शपथकर्ता या अभिकरण का कोई भी मालिक/पार्टनर/ निदेशक, इसके विज्ञापन, स्वरूप या प्रबंधन के सम्बन्ध में किसी अपराध (फर्म/अभिकरण/कम्पनी के सम्बन्ध में किसी धोखे या अपकरण) के लिए दोषी नहीं पाया गया है, और न ही उसे दिवालिया घोषित किया गया है।
5. कि शपथकर्ता या अभिकरण का कोई भी अन्य मालिक /पार्टनर/निदेशक किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया है जिसके लिए कम से कम निर्धारित सजा दो वर्ष से कम न हो।
6. कि शपथकर्ता या अभिकरण के किसी भी मालिक/पार्टनर/निदेशक -
 - क) का किसी ऐसे संगठन या संस्था से कोई भी सम्बन्ध नहीं है जिसे उसकी गतिविधियों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हों, के लिए किसी कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया हो।
 - ख) ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हो।
7. कि शपथकर्ता या अभिकरण के किसी भी मालिक/पार्टनर/निदेशक को सरकारी सेवा से दुराचार या नैतिक अधमता के आधार बर्खास्त या हटाया नहीं गया है।

8. कि फर्म/अभिकरण/कम्पनी भारत में पंजीकृत है तथा इसका कोई भी मालिक या अधिकांश शेयरधारक, पार्टनर या निदेशक गैर-भारतीय नागरिक नहीं है।
9. कि शपथकर्ता व अभिकरण के अन्य सभी मालिक/पार्टनर/निदेशक, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 29 वां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा-2 में निहित प्रावधानों का अनुपालन अपने निजी सुरक्षा गार्डों व पर्यवेक्षकों को निर्धारित प्रशिक्षण व कौशल प्रदान/उपलब्ध करवाकर सुनिश्चित करेंगे।
10. कि शपथकर्ता व अभिकरण के अन्य सभी मालिक/पार्टनर/निदेशक अनुज्ञप्ति की निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे, जैसा कि निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 29 वां अधिनियम) की धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है:-
 - i) निर्धारित प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को गुजरना है
 - ii) अभिकरण के गठन में शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का विवरण
 - iii) यह दायित्व की प्रबंधन के गठन में किसी भी बदलाव, पते में परिवर्तन के बारे में जानकारी, समय-समय पर नियंत्रक प्राधिकारी को दी जाएगी
 - iv) यह दायित्व की निजी सुरक्षा अभिकरण के गठन में शामिल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, उसके कर्तव्यों के निष्पादन से सम्बन्धित कोई आपराधिक आरोप तय होने के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर जानकारी दी जाएगी।
 - v) राज्य सरकार/यू टी प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 2 के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण के द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवश्यक प्रशिक्षण को सत्यापित कर सकता है तथा यदि अभिकरण ने आवश्यक प्रशिक्षण की शर्त का पालन नहीं किया है तो यह निजी सुरक्षा अभिकरण को दी गई अनुज्ञप्ति को जारी रखने या अन्यथा की समीक्षा कर सकता है।
11. कि शपथकर्ता के विरुद्ध पुलिस के पास कोई केस दर्ज नहीं है और न ही कानून के न्यायालय में कोई मामला लम्बित है।

या

कि शपथकर्ता के विरुद्ध पुलिस के पास या कानून के न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज है। (विवरण साथ में संलग्न किया जाएगा)

12. कि शपथकर्ता व अभिकरण/ फर्म/ कम्पनी के अन्य सभी मालिक/पार्टनर/निदेशक अनुज्ञप्ति की शर्तों के साथ-साथ, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 29 वां अधिनियम) व इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार/ यू.टी. प्रशासन के द्वारा अधिसूचित सम्बन्धित

नियमों का ईमानदारी से अनुपालन करेंगे तथा वे निजी सुरक्षा अभिकरण का इसके नाम व शीर्षक के साथ प्रबंधन करते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करेंगे।

मैसर्ज _____

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं _____ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र के तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच्चे व सही हैं तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

- नोट :-
- i) बिंदु न. 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से सम्बन्धित हैं।
 - ii) बिंदु न. 9 अधिनियम की धारा 9(2) के अनुपालन से सम्बन्धित हैं।
 - iii) बिंदु न. 10 व 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से सम्बन्धित हैं।
 - iv) उस बिंदु को काट दें जो लागू नहीं होता है।

प्रपत्र - IV
[नियम 3(10) देखें]
चण्डीगढ़ प्रशासन
निजी सुरक्षा अभिकरण के व्यवसाय में लगने की अनुज्ञप्ति

क्रमांक न. _____
 तिथि _____

निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम _____
 श्री _____ (आवेदक का नाम) सपुत्र _____ वासी _____
 _____ (पूरा पता) को _____ राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा _____
 / _____ ज़िले/राज्य (जो लागू न हो उसे काट दें) में निजी सुरक्षा अभिकरण के व्यवसाय को
 _____ पर स्थित अपने कार्यालय से चलाने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

जारी होने का स्थान _____
 जारी होने की तिथि _____
 यह अनुज्ञप्ति _____ तक वैध है।

हस्ताक्षर
 जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम
 पद
 कार्यालय पता

नवीकरण
[नियम 5 (4) देखें]

क्रमांक	नवीकरण की तिथि	वैधता की अंतिम तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

हस्ताक्षर
 जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम
 पद
 कार्यालय पता

प्रपत्र - V
[नियम 7 (2) देखें]

सुरक्षा गार्ड व पर्यवेक्षक के चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण के सत्यापन के लिए प्रपत्र

आवेदक के हस्ताक्षर _____

कार्यालय उपयोग के लिए		
प्रपत्र संख्या	पूर्ववर्ती आचरण सत्यापन - के द्वारा जारी	तिथि

शुल्क राशि ₹ _____ **नकद/डिमांड ड्राफ्ट** _____ **बैंक का नाम** _____

डी.डी संख्या _____ **तिथि** _____

कृप्या मोटे अक्षरों में भरें (सावधानी : कृप्या सही जानकारी दर्ज करें। प्रपत्र में गलत जानकारी दर्ज करने या किसी वास्तविक जानकारी को छुपाने पर, उम्मीदवार को निजी सुरक्षा अभिकरण में रोजगार /अनुबंध प्राप्ति के लिए अयोग्य बना देगा)।

1. आवेदक का नाम, जो फोटो पहचान पत्र में दिखेगा (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)
अंतिम नाम _____ पहला नाम _____
2. क्या आपने कभी अपना नाम परिवर्तित किया है? कृप्या अपने पूरे पूर्व नाम को बताएं

3. लिंग (पुरुष/स्त्री) _____
4. जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) _____
5. आधार संख्या _____
6. जन्म स्थान: गाँव/नगर _____
जिला _____ राज्य व देश _____
7. पिता का पूरा नाम/कानूनी संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम के साथ, यदि हों)
(आद्याक्षरों की अनुमति नहीं है) _____
8. माता का पूरा नाम (उपनाम के साथ, यदि हो)
(आद्याक्षरों की अनुमति नहीं है) _____
9. यदि विवाहित है तो जीवन साथी का पूरा नाम (उपनाम के साथ, यदि हो)
(आद्याक्षरों की अनुमति नहीं है) _____

10. वर्तमान आवासीय पता, गली न. /पुलिस स्टेशन, गाँव व ज़िला (पिनकोड के साथ)

 दूरभाष संख्या _____ /मोबाईल संख्या _____
11. कृप्या उस तिथि को बताएं जब से उपरोक्त पते पर रह रहे हों –
 (DD/MM/YYYY) _____
12. स्थाई पता -गली न. /पुलिस स्टेशन, गाँव व ज़िला (पिनकोड के साथ)

13. यदि आपने उपरोक्त कॉलम न. 10 में दिए गए पते पर पिछले पाँच वर्षों तक लगातार निवास नहीं किया है तो कृप्या दूसरा पते के बारे में निवास की अवधि के साथ बताएं
 _____ से _____ तक - पता _____

14. विदेश में रहने के मामले में, उन सभी स्थानों का विवरण दें, जहां पर आपने 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है

15. अन्य विवरण
 क) शैक्षणिक योग्यता _____
 ख) पूर्व पद, यदि हो, नियोजक के नाम व पते के साथ _____
 ग) पूर्व रोजगार छोड़ने का कारण _____
 घ) प्रत्यक्ष पहचान चिन्ह _____
 ङ) कद (सैं.मी.) _____
 च) अधिनियम की धारा 10(1) व (2) के प्रावधानों को समाविष्ट करते हुए शपथ-पत्र संलग्न है:
 हाँ/ नहीं।
16. क्या आप केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार /सार्वजनिक उपक्रम /वैधानिक संस्था में काम करते हैं?
 हाँ / नहीं
17. क्या आप भारत के नागरिक - जन्म/वंश/पंजीकरण/नागरिकता प्राप्त करने के आधार पर हैं?क्या आप के पास कभी किसी अन्य देश की नागरिकता थी?कृप्या पूर्व नागरिकता के बारे में बताएं

18. क्या आपको कभी भी भारतीय न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक कृत्य के लिए दोषी पाया गया है तथा कैद की सजा दी गई है? यदि हां, न्यायालय का नाम, मुकद्दमा संख्या व अपराध के बारे में बताएं (निर्णय की प्रति संलग्न करें) _____
19. क्या भारत के किसी भी न्यायालय में आपके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई लम्बित है? यदि हां, न्यायालय के नाम, मुकद्दमा संख्या व अपराध के बारे में बताएं _____

20. क्या किसी न्यायालय ने आपको वारंट या पेश होने के लिए सम्मन या गिरफ्तारी के लिए वारंट या आपके भारत छोड़ने पर रोक का आदेश जारी किया है? यदि हाँ, न्यायालय के नाम, मुकद्दमा संख्या व अपराध के बारे में बताएं_____
21. स्वघोषणा
इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेज सही है तथा इनकी सटीकता के लिए केवल मैं जिम्मेवार हूँ।
22. उंगलियों के निशान -

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तिथि_____
स्थान_____

संलग्न_____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रपत्र - VI
[नियम 7 (2) देखें]

शपथ-पत्र

मैं _____ सपुत्र/सपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमति _____ वासी
_____ मैसर्ज _____
(फर्म/अभिकरण/कम्पनी का नाम), पता _____ स्वयं को
_____ (फर्म / अभिकरण / कम्पनी का नाम) निजी सुरक्षा
अभिकरण, पता _____ में निजी सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक की सेवा के लिए
प्रस्तुत करता हूँ। मैं यहां पर निम्नलिखित सत्यनिष्ठ पुष्टि व घोषणा करता हूँ।

1. कि मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. कि मैंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है परन्तु अभी 65 वर्ष का नहीं हुआ हूँ। मेरी जन्म तिथि है

3. कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दोषी नहीं पाया गया है।
4. कि मुझे भारतीय संघ के किसी सैन्य दल, राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निजी सुरक्षा अभिकरण से दुराचार या नैतिक अधमता के आधार पर सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं _____ यहाँ पर दिनांक _____ को यह सत्यनिष्ठ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र के तथ्य, मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सच्चे व सही हैं तथा इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

नोट : निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 29 वां अधिनियम) की धारा 10(2) के प्रावधानों को शपथकर्ता की जागरुकता के लिए इस शपथपत्र के पीछे प्रिंट किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं –

“धारा 10. निजी सुरक्षा गार्ड बनने की योग्यता

(2) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा भारतीय संघ के किसी सैन्य दल, राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निजी सुरक्षा अभिकरण से दुराचार या नैतिक अधमता के आधार पर सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो, उसे निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।”

प्रपत्र - VII
[नियम 7 (6) देखें]
चरित्र व पूर्ववृत्त आचरण प्रमाण-पत्र

(यह प्रमाण-पत्र निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 में
समायोजित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____
_____ जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का अच्छा नैतिक चरित्र व प्रतिष्ठा है
तथा आवेदक निम्न पते पर पिछले एक वर्ष से रह रहा है।

जन्मतिथि :

जन्मस्थान :

शैक्षणिक योग्यता :

व्यवसाय:

वर्तमान पता :

स्थायी पता :

यह प्रमाण-पत्र _____ (स्तोत प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया है तथा
जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध रहेगा।

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नाम

पद

पता/ दूरभाष

जारी होने की तिथि

प्रपत्र - VIII
[नियम 8 (5) देखें]
प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

क्रमांक

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम:

प्रशिक्षण अभिकरण का पता:

प्रशिक्षण अभिकरण की पहचान संख्या:

[इस अभिकरण की पहचान, दिनांक _____ तक वैध है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ सुपुत्र / सुपुत्री श्री _____ वासी _____ ने निजी सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति /नियोजन के लिए निर्धारित प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एन.एस.क्यू.एफ.) के मानकों के अनुसार दिनांक _____ से _____ तक पूरा कर लिया है।

उसके प्रमाणित हस्ताक्षर निम्न हैं

प्रमाण-पत्र धारक के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पद

जारी होने का स्थान

जारी होने की तिथि

प्रपत्र - IX
[नियम 11 देखें]
अपील के लिए प्रपत्र

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत एक अपील

अपीलार्थी _____

सपुत्र /सपुत्री _____ वासी _____

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी / _____

उपरोक्त _____, राज्य गृह सचिव _____ के समक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश दिनांक _____ जिसके द्वारा उसे निजी सुरक्षा अभिकरण को चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति देने के लिए मना कर दिया गया था, के विरुद्ध, निम्नलिखित आपत्ति के आधारों पर अपील करता है, जो इस प्रकार हैं -

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

संलग्न दस्तावेजों की सूची _____

हस्ताक्षर

अपीलार्थी का नाम व पद

दिनांक

स्थान

प्रपत्र - X
(नियम 12 देखें)

विवरण का रजिस्टर

(रजिस्टर - ए : प्रबंधन विवरण)

क्रमांक	अभिकरण का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों का नाम	अविभावक / पिता का नाम	वर्तमान पता व फोन न.	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में प्रवेश / निकलने की तिथि

(रजिस्टर - बी : निजी सुरक्षा गार्ड व पर्यवेक्षक)

क्रमांक	गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता व फोन न.	अभिकरण में प्रवेश / निकलने की तिथि	स्थायी पता	फोटो	उंगलियों के निशान	कर्मचारी संख्या	तिथि सहित वेतन, इ.एस.आई., ई.पी.एफ. व बैंक शाखा जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है।
1.									
2.									

(रजिस्टर - सी : ग्राहक)

क्रमांक	ग्राहक का नाम व फोन न.	उस स्थान का पता, जहाँ सुरक्षा प्रदान करनी है	प्रदान किए गए सुरक्षा गार्डों की संख्या व पद	सेवा शुरू होने की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि

(रजिस्टर - डी : ड्यूटी रोस्टर)

क्रमांक	निजी सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई हथियार प्रदान किया गया है	ड्यूटी शुरू होने की तिथि व समय	ड्यूटी समाप्त होने की तिथि व समय

प्रपत्र – XI

(नियम 13 देखें)

निजी सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचान-पत्र
(निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान पत्र संख्या _____
 नाम _____
 आधिकारिक पद _____
 कर्मचारी संख्या _____
 ब्लड ग्रुप _____
 जारी होने की तिथि _____
 वैधता _____
 कार्डधारक के हस्ताक्षर _____

रंगीन फोटो

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
आधिकारिक मोहर

“No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/public notices in this part of the Chandigarh Administration Gazette. Persons notifying the advertisements/ public notices will remain solely, responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.”